हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. सशस्त्र दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने की शक्ति।
4. गिरफ्तारी के पश्चात् प्रक्रिया।
5. निरोध शिविर स्थापित करने की शक्ति।
6. अपराध और शास्तियां।
7. प्रक्रिया।
8. अधिनियम के अधीन अपराध का अजमानतीय होना।
9. जमानत के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध।
10. अधिकारिता का विवर्जित होना।
11. अन्य दण्ड विधियों का प्रचालन विवर्जित न होना।
12. निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969

(1971 का अधिनियम संख्यांक 1)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 18 अक्तूबर, 1986 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 22 नवम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2047 से 2051 पर प्रकाशित किया गया)

सशस्त्र दल के सदस्यों की गिरफ्तारी और दण्ड का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 है।

———————————————

1. **टिप्पणः**– क्योंकि अधिनियम राजभाषा में 18 अक्तूबर, 1986 को राज्यपाल महोदया द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 22 नवम्बर, 1986 को पृष्ठ संख्या 2047 से 2051 पर प्रकाशित किया गया।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त निदिष्ट करें।

2. **परिभाषाएं**.— (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, —

(क) "आयुद्ध" का वही अर्थ है जो उसे भारतीय आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) में दिया गया है और शस्त्र के रूप में प्रयोग करने योग्य कोई शस्त्र या वस्तु इसके अन्तर्गत है जिसे यदि प्रयुक्त किया जाए, तो घोर उपहति या मृत्यु होना सम्भाव्य हो, किन्तु अनुज्ञप्त आयुद्ध या ऐसे आयुद्ध जिनके लिए उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है, इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

(ख) "सशस्त्र दल" से पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव या समूह अभिप्रेत है जिनमें से सभी या किन्हीं के पास आयुद्ध होः

परन्तु कोई लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक के दल में अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कोई आयुद्ध रखता है सशस्त्र दल का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(ग) "संहिता" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1998 का 5) अभिप्रेत है;

(घ) "निरोध शिविर" से इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के निरोध के लिए राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई शिविर अभिप्रेत है;

(ङ) "घोर उपहति" का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 320 में उसका है;

(च) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 में उसका है;

(छ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता में क्रमशः उनके हैं।

3. **सशस्त्र दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करने की शक्ति.**— (1) कोई मैजिस्ट्रेट और कोई पुलिस अधिकारी जो थाना अधिकारी के पद से नीचे की पंक्ति का न हो, सशस्त्र दल के किसी सदस्य को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा, और यदि गिरफ्तारी में प्रतिरोध किया जाता है, तो ऐसी गिरफ्तारी के लिए उस पर गोली चला सकेगा या अन्यथा मृत्यु कारित करने पर्यन्त बल प्रयोग कर सकेगा ।

(2) सहिता की धारा 41 से 53 में अधिकथित प्रक्रिया, यथाशक्य, उप–धारा (1) के अधीन की गई गिरफ्तारियों को लागू होगी।

4. **गिरफ्तारी के पश्चात् प्रक्रिया.**— (1) गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, सुविधानुसार सम्पूर्ण शीघ्रता से गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम निरोध–शिविर के प्रभारी अधिकारी के पास ले जाएगा या भेजेगा।

(2) निरोध शिविर का प्रभारी अधिकारी विचारण के लम्बित रहने तक, गिरफ्तार व्यक्ति को एक मास से अनधिक अवधि के लिए निरोध में रख सकेगा।

5. **निरोध शिविर स्थापित करने की शक्ति.**— (1) राज्य सरकार, और राज्य सरकार के प्राधिकार से जिला मैजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता में निरोध शिविर स्थापित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे शिविरों का गठन विहित कर सकेगी और अनुरक्षण, अनुशासन और अपराधों और अनुशासन भंग करने के लिए दण्ड, के बारे में शर्तें अवधारित कर सकेगी जो ऐसे शिविरों में अभिरक्षा में रखे व्यक्तियों को लागू होंगी।

6. **अपराध और शास्तियां.**— (1) जो कोई भी व्यक्ति सशस्त्र दल का सदस्य है, सक्षम दाण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति सशस्त्र दल का सदस्य होते हुए, सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी के आदेश द्वारा या उसके अधीन, अपनी गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, वह सक्षम दांण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

7. **प्रक्रिया.**— संहिता में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने वाला कोई मैजिस्ट्रेट, यदि उचित समझे, तो संहिता के अध्याय 22 में विहित प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे किसी अपराध का संक्षेपतः विचारण कर सकेगा।

8. **अधिनियम के अधीन अपराध का अजमानतीय होना.**— संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध अजमानतीय होगा।

9. **जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध.**—संहिता में अन्तर्विष्ट बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा दण्डनीय बनाए गए अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, तब तक जमानत या बन्धपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कि—

(क) इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने के लिए अभियोजन पक्ष को अवसर प्रदान न कर दिया गया हो;

(ख) और जहां अभियोजन पक्ष आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

10. **अधिकारिता का विवर्जित होना.**— किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन या धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अलावा कोई अभियोजन, बाद या विधिक कार्यावाही संस्थित नहीं की जाएगी।

11. **अन्य दण्ड विधियों का प्रवर्तन विवर्जित न होना.**— इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है, किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति को अभियोजित किए जाने से निवारित करने वाली नहीं मानी जाएगीः

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा।

12. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—ईस्ट पंजाब आर्मडबैंड (अरैस्ट एण्ड डिटैन्शन) ऐक्ट, (1947 का 11) एतद्द्वारा निरसन किया जाता हैः

परन्तु उक्त अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (दिए गए किसी आदेश, जारी की गई अधिसूचना या निदेश, स्थापित निरोध शिविर या प्रारम्भ या जारी की गई किन्हीं कार्यवाहियों सहित) इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 के अधीन अधिसूचनाएं और नियम।

अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख

गृह–विभाग

शिमला–2, 8 जून, 1972

संख्या 1–11/68–गृह.– हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र दल (गिरफ्तारी और निरोध) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में प्रथम जुलाई, 1972 से प्रवृत्त होगा।